यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार** के माह **अप्रैल 2018 से नवम्बर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय एवं श्री शम्भू कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यबीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **18/12/2020 से 29/12/2020** तक श्री विभाष मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. राणा, श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/05/2018 से 22/05/2018 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह दिसम्बर 2016 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार** के द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य, सड़कों का रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

(ii) बजट

लेखा परीक्षा अवधि में योजनावारबजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(i लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/व्यय	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2016-17	-	-				
2017-18	-	-	3192.87	1765.94	-	(-)1426.93
2018-19	-	-	4239.39	3185.32	-	(-) 1054.07
2019-20	-	-	3982.29	3163.00	-	(-)819.29
2020-21 (11/2020 तक)	-	-	2776.46	1955.76	-	

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य अभियन्ता (विभागध्यक्ष)

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल)

अधीक्षण अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह मार्च 2019 एवं जुलाई 2019 का चयन किया गया। कार्य Construction of Ringalpooni Jaspur to Gweel Garhkot Motor road को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में ..... निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखा बन्दी क्रमशः माह 09/2020 तथा 09/2020 तक की गई।

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: **गलत निविदा आमंत्रण के कारण कार्य पर ₹76.72 लाख का अतिरिक्त /परिहार्य व्यय।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम 3 उपनियम 13(3) में यह प्राविधानित है कि, "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार समान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है"।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फेस XII एवं XVII में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल में रिंगालपानी-जसपुर से ग्वील- गढ़कोट मोटर मार्ग के स्टेज-I एवं II के कार्य हेतु क्रमशः वर्ष 2014 में ₹927.90 लाख एवं वर्ष 2018 में ₹1099.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड द्वारा क्रमशः ₹868.99 लाख एवं ₹1099.16 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2015 एवं मार्च 2019 में)। कार्य निष्पादन हेतु M/s KBM Construction Co. के साथ स्टेज-I के लिये अनुबन्ध (96/SE-PMGSY/2014-15) एवं स्टेज-II के लिये अनुबन्ध (11/UT-08-09(II)&UT-08-12(I&II)/XVII/CE-URRDA/2019-20) गठित की गई, जिसका कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ती की तिथि क्रमशः 30.03.2015 एवं 29.09.2016 (स्टेज-I) एवं 07.07.2019 एवं 06.01.2021(स्टेज-II) थी। लेखापरीक्षा तिथि तक स्टेज-I का कार्य पूर्ण हो गया था एवं स्टेज-II का कार्य प्रगति में था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के स्टेज-I के कार्य के अंतर्गत प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष खण्ड द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु तैयार किए गए विस्तृत आगणन में जी0एस0बी0 का 100mm का एक layer का कार्य निष्पादन हेतु ग्रामीण मार्गों हेतु विशिष्टियां /आई0आर0सी0 के क्लाज़ 401.40 (तालिका 400.13) के अनुसार स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 (Granular Sub-base/ surface course with local material) का प्रावधान किया गया था परंतु विभाग द्वारा इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रण में कार्य के Schedule of work में जी0एस0बी0 कार्य के निष्पादन हेतु स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) को कार्यमद के रूप में रखी गई थी एवं तदनुसार ठेकेदार द्वारा उसी कार्यमद (GSB by providing well graded material) हेतु ₹1300 का दर दिया गया, जो कि विभाग द्वारा जी0एस0बी0 हेतु आगणित कार्यमद (Granular Sub-base/ surface course with local material) की दर (₹479.30) से ₹820.70 अधिक था। अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के निविदा आमंत्रण में कार्य के Schedule of work में तो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को कार्यमद के रूप में रखी गई थी परंतु जी0एस0बी0 का कार्य स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 से करवाया गया एवं ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की दर ₹1300 (निविदा में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा दिये गए दर) से भुगतान किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा न केवल विस्तृत आगणन में स्वीकृत कार्यमद से उच्च श्रेणी का कार्यमद का

निविदा आमंत्रण कर ₹76.72 लाख {9773.43 cum x ₹ 785 (₹1264.40- ₹479.90)} का अतिरिक्त /परिहार्य व्यय किया गया बल्कि स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 से कार्य निष्पादन कर ठेकेदार को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की दर से भुगतान कर ठेकेदार को ₹76.72 लाख का अदेय लाभ भी प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.) द्वारा उत्तर दिया गया कि निविदा आमंत्रण के समय विभाग द्वारा त्रुटिवश local material के स्थान पर well graded material अंकित हो गया था, परंतु निविदा आमंत्रण के समय Schedule-B में उक्त मद का Indicative Rate (₹479.30/ cum) local material का दिया गया गया था एवं मोटर मार्ग पर जी0एस0बी0 का कार्य local material द्वारा ही किया गया है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा मदों की दरें स्थलीय निरीक्षण के जांच उपरांत अपने विवेकानुसार भरी जाती है, जो विभागीय दरों से कम या ज्यादा हो सकती है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथमतः प्रक्रिया अनुसार किसी निविदा के सापेक्ष ठेकेदार को निविदा के Schedule-B में दिये गए मद के सापेक्ष अपना दर अंकित किया जाना होता है न कि दर के सापेक्ष, एवं वर्ष 2013 में well graded material का SoR दर ₹1264.40 प्रति घन मी0 था, एवं द्वितीयतः इस मोटर मार्ग के स्टेज-II के कार्य निष्पादन हेतु इसी ठेकेदार (M/s KBM Construction Co.) के साथ अनुबन्ध गठित किया गया था एवं जिसमे उसी ठेकेदार द्वारा चार वर्ष के उपरांत इसी कार्यमद (अर्थात स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 बिछाने का कार्य) हेतु ₹1005.00 प्रति घन मी0 का दर अंकित किया गया था, जिसका वर्ष 2017-18 का SoR दर ₹ 1005.00 था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा स्टेज-I में well graded material के सापेक्ष ही निविदा में अपना दर अंकित किया गया था। यदि विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण में की गई त्रुटि का सुधार करते हुये उस निविदा को निरस्त कर फिर से निविदा आमंत्रित किया जाता अथवा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को निरस्त करते हुये अतिरिक्त मद के अंतर्गत स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 मद से कार्य का निष्पादन किया जाता तो इस कार्यमद के निष्पादन से ₹76.72 लाख का अतिरिक्त /परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

इस प्रकार विभाग द्वारा गलत निविदा आमंत्रण एवं तद्पश्चात उसका सुधार न करने के कारण इस कार्य पर ₹76.72 लाख का अतिरिक्त /परिहार्य व्यय होने के कारण न केवल शासन पर ₹76.72 लाख का अतिरिक्त व्ययभार हुआ बल्कि खण्ड द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के स्थान पर स्थानीय सामग्री वाली जी0एस0बी0 से कार्य निष्पादित कराकर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की दर से भुगतान करके ठेकेदार को ₹76.72 लाख का अदेय लाभ भी पहुचाया गया। अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: ठेकेदार के देयक से रॉयल्टी के रूप में ₹ 38335 धनराशि की कम कटौती किया जाना।

उत्तराखण्ड जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 के अनुसार ठेकेदार के देयक से कटौती की गयी रॉयल्टी की धनराशि का 25% अतिरिक्त रूप से न्यास निधि हेतु कटौती की जानी है जिसे न्यास निधि में जमा किया जाना है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल में रिंगालपानी-जसपुर से ग्वील- गढ़कोट मोटर मार्ग के स्टेज-II कार्य के अंतर्गत XVI चालू देयक में संलग्न statement of royalty के अनुसार, उस देयक के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कुल 790.4 cum उपखनिज प्रयुक्त किया गया है, जिसके अनुसार उस देयक से ₹ 194 प्रति घन मी0 की दर से कुल ₹153338 धनराशि की कटौती रॉयल्टी के रूप में एवं ₹ 38335 (₹153338 का 25%) धनराशि की कटौती न्यास निधि हेतु की जानी थी। परंतु खण्ड द्वारा केवल ₹115003 धनराशि (₹153338 का 75%) रॉयल्टी के रूप में कटौती की गई। इस प्रकार खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयक से रॉयल्टी के रूप में ₹38335 धनराशि कम कटौती की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता (अ.अ.) द्वारा उत्तर दिया गया कि आगामी देयकों से आवश्यक कटौतियाँ कर ली जायेगी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार के प्रत्येक देयक से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए जो कि खण्ड द्वारा नहीं किया गया।

अतः ठेकेदार के देयक से रॉयल्टी के रूप में ₹ 38335 धनराशि कम कटौती किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: प्रावधानों के विपरीत कार्य निष्पादन के कारण कार्य पर अतिरिक्त व्यय भार ₹ 64.93 लाख के साथ ठेकेदार को अदेय लाभ ₹ 78.65 लाख।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज **xv** के अंतर्गत किमसार धारकोट मार्ग हेतु पैकेज संख्या यू टी -08-71 के अंतर्गत स्वीकृति ₹ 751.11 लाख की जुलाई 2017 मे प्रदान की गयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति ₹ 744.92 लाख की मई 2018 मे प्रदान की गयी थी।

मार्ग हेतु अनुबंध संख्या 43/यू टी -08-71 दिनांक 26.07.18 को लागत ₹ 786.56 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत निर्माणकार्य की लागत ₹ 686.17 लाख एवं अनुरक्षण कार्य की लागत **₹ 98.39** लाख थी। कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 03.07.19 थी।

कार्य हेतु वाउचर संख्या 09 दिनांक 30.01.20 के द्वारा ठेकेदार को ₹ 44.99 लाख का भुगतान सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 444.32 लाख का भुगतान किया गया था**.**

अधिशासी अभियंता**,** पी एम जी एस वाई**,** सिंचाई खंड**,** कोटद्वार मे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया की मार्ग मे जी एस बी की दो लेयर एवं जी -3 की एक ही लेयर का प्रावधान किए जाने के उपरांत भी मार्ग मे डब्लू बी एम ग्रेड- 2 मद की अतिरिक्त मदएवं डी पी आर मे प्रावधानित **Construction of R R Stone Masonary Laid Dry** की निर्धारित मात्रा 3982.42 घन मीटरके सापेक्ष उक्त मद का निष्पादन 5394.89 घन मीटर करते हुए कार्य पर बगैर स्वीकृति के अतिरिक्त व्यय भार क्रमशः ₹ 40.62 लाख एवं ₹ 24.31 लाख कुल ₹64.93 लाख का डाला गया था। आगे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य हेतु वाउचर संख्या 09 दिनांक 30.01.20 के द्वारा ठेकेदार को ₹ 44.99 लाख का भुगतान सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 444.32 लाख का भुगतान किया गया था जबकि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक 03.07.19 के उपरांत संप्रेक्षा अवधि तक कार्य अपूर्ण था एवं खंड द्वारा ठेकेदार से विलंब हेतु 10 प्रतिशत **Liquidity Damage** की कटौती नहीं की गयी थी। जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 78.65 लाख का अदेय लाभ प्रदान किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया की मोटर मार्ग के तिमिलियानी तक विस्तारित होने दुगड्डा ऋषिकेश राज्यमार्ग से मिलने के कारण भविष्य मे मार्गो पर वाहनो की संख्या मे वृद्धि को देखते हुए मार्ग के अंतिम बिंदु से दुगद्दा ऋषिकेश राज्य मार्ग मे मिलने एवं भविष्य मे मार्गो पर वाहनो की संख्या मे वृद्धि होने के कारण मार्ग के सब ग्रेड मे जी एस बी के स्थान पर जी 2 मद को प्रावधानित करते हुए अतिरिक्त मद का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति प्राप्त की गयी है एवं स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम के दोनों तरफ सुरक्षात्मक दीवारों की मांग एवं मार्ग को पी एम जी एस वाई के मानको के अनुसार निर्माण करने के कारण आर आर ड्राइ की

मात्रा मे वृद्धि हुई हैतथा ठेकेदार से **LD** की कटौती नहीं की गयी है तथा समय वृद्धि प्रकरण प्रेषित है जिसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि मार्ग की **ESAL** एवं **CBR**के अनुरूप संभावित वाणिज्यिक वाहनों की संख्या के आधार पर **PavementDesign Catalogue**के अनुसार निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार ग्रेवल/ग्रैनूलार वेस एण्ड सब0वेस की मोटाई का आंकलन/ निर्धारण कर खंड द्वारा प्राप्त स्वीकृति से इतर कराय निष्पादन कर मार्ग पर बगैर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त व्ययभार डाला गया था एवं कार्य निष्पादन मे विलंब होने के उपरात भी ठेकेदार से एल डी की कटौती न कर ठेकेदार को लाभ प्रदान किया गया था।

अतः प्रावधानों के विपरीत कार्य निष्पादन के कारण कार्य पर अतिरिक्त व्यय भार ₹ 64.93 लाखके साथ ठेकेदार को अदेय लाभ ₹ 78.65 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	28/2011-12	1	1,3,4
2.	87/2012-13	1	1
3.	88/2014-15	1,2	1,2
4.	151/2015-16	1,2	1
5.	118/2016-17	2	1,2
6.	10/2018-19	1,2	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, जनपद- पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए: MB No.- 58/L, 93/L, 69/L, 76/L एवं 68/L
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से 27/07/2018 तक।
(ii)	श्री राजेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	28/07/2018 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि

.....

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, जनपद- पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार एएमजी-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, 248195 देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II(NonPSU)